संख्या-128/2019/1027/पॉच-6-2019-46(नि0)/16टी.सी.-ए

प्रेषक

नर्वेद सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ** : **दिनांक** 15 **मई**, 2019

विषय:-**वित्तीय वर्ष** 2018-19 **में सामु0स्वा0केन्द्र, ऊंचगांव, जनपद उन्नाव एवं सामु0स्वा0केन्द्र, सहतवार, जनपद बलिया के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7991/17**फ/नि0नि0अ**0/2019-20, **दिनांक** 16.04.2019, **शासनादेश संख्या**-356/2016/3003/**पॉच**-6-16-46(**निर्माण)**/16**टी.सी.**-1 **दिनांक** 21.12.2016 **व शासनादेश संख्या**-294/2016/2611/**पॉच**-6-16-46(**निर्माण)**/16**टी.सी.**-1 **दिनांक** 17.11.2016 **एवं शासनादेश संख्या**-24/2019/4000/**पॉच**-6-18-46(**निर्माण)**/16**टी.सी.-ए दिनांक** 21.01.2019 **के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक** 21.12.2016 **द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, ऊंचगांव, जनपद उन्नाव हेतु रू0-494.96 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-246.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त शासनादेश दिनांक** 17.11.2016 **द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, सहतवार, जनपद बलिया के भवन निर्माण हेतु रू**0 494.56 **लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू**0-247.28 **लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा शासनादेश दिनांक 21.01.2019 द्वारा प्रश्नगत सामु0स्वा0केन्द्रों हेतु पी**0**एफ**0**ए**0**डी**0 **द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर संलग्न तालिका के कॉलम-5 के अनुसार कुल रू0 1171.57 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति (जी0एस0टी0 सहित) निर्गत की जा चुकी है।**

2- **अतएव आपके प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, ऊंचगांव, जनपद उन्नाव एवं सामु0स्वा0केन्द्र, सहतवार, जनपद बलिया हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु प्रत्येक हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू0 200.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-400.00 लाख (रूपया चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं**:-

1. **पी**0**एफ**0**ए**0**डी**0 **की शर्तों एवं वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या**-1/2019/**बी**-1-170/**दस**-2019-231/2019, **दिनांक** 22.03.2019**, शासनादेश संख्या**-356/2016/3003/ **पॉच**-6-16-46(**निर्माण)**/16**टी.सी.**-1 **दिनांक** 21.12.2016 **व शासनादेश संख्या**-294/2016/ 2611/**पॉच**-6-16-

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

46(**निर्माण)**/16**टी.सी.-**1 **दिनांक** 17.11.2016 **एवं शासनादेश संख्या**-24/2019/4000/**पॉच**-6-18-46(**निर्माण)**/16**टी.सी.-ए दिनांक** 21.01.2019 **में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

2. **प्रायोजनान्तर्गत वर्क टू बी डन के अन्तर्गत प्रस्तावित सर्विस टैक्स की लागत को जी0एस0टी0 लागू होने के दृष्टिगत सर्विस टैक्स की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।**
3. **पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को शासन द्वारा प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/ कार्यदायी संस्था का होगा।**
4. **शासन द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।**
5. **शासन द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।**
6. **सामु0स्वा0केन्द्र, ऊंचगांव, जनपद उन्नाव हेतु मिटटी भराई हेतु रु0-5**.00 **लाख प्रस्तावित किया गया है, जो कि व्यय वित्त समिति के निर्णयानुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुसार मिट्टी भराई का प्राविधान नहीं किया गया है। अत: शासन द्वारा फिलहाल अवशेष मिट्टी भराई के प्राविधान हेतु एकमुश्त 0**-3.00 **लाख अनुमन्य करते हुए लागत का आंकलन किया गया है।**
7. **अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।**
8. **प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।**
9. **प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।**
10. **प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।**
11. **यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।**
12. **कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।**

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

13. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

15. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-32 लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना) 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-128/2019/1027(1)/पॉच-6-2019, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

4- निदेशक (नियोजन/बजट/सी0एच0सी0/चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव/बलिया ।

7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव/बलिया ।

9- प्रबन्ध निदेशक/क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0सिडको/यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (पैकफेड), लखनऊ/उन्नाव/बलिया ।

10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

13- विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-128/2019/1027/पांच-6-2019-46(निर्माण)/16 टी0सी0-ए तदिदनांक 15 मई, 2019 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र.	सामु0स्वा0 केन्द्र का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	शासनादेश संख्या-24/2019/4000/पॉच-6-18-46(निर्माण)/16 टी.सी.-ए दिनांक 21.01.2019 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	शेष मांग	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सामु0स्वा0केन्द्र, ऊचगांव, उन्नाव	494.96	246.16	602.19	356.03	200.00
2	सामु0स्वा0केन्द्र, सहतवार, बलिया	494.56	247.28	569.38	322.10	200.00
	योग-	989.52	493.44	1171.57	678.13	400.00

(रूपया चार करोड़ मात्र)

हरनाम
संयुक्त सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।